न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली, जिला–करौली

पीठासीन अधिकारी : गुंजन फौजदार (आर.जे.एस.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 28/2016 पुलिस थाना– मंडरायल
फौजदारी प्रकरण संख्या : 76/2016
सी.आई.एस. संख्या : 1838/2016
सी.एन.आर. संख्या : *RJKR020002022016*

सरकार –अभियोजन

ब ना म

पिंकी –अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 457 भारतीय दण्ड संहिता

परिवादी	सीमा पत्नी रामनिवास, निवासी दरगमा, करौली
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी, करौली
अभियुक्त का नाम व पता	पिंकी खाती पुत्र राजाराम, निवासी दरगंमा थाना मंडरायल, जिला करौली, राजस्थान।
विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी	श्री उमा शंकर
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री दीपक राज मीना, असद अहमद (एएलएडीसी ,डीएलएसए)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

एफ.आई.आर. दर्ज होने की तारीख	06.04.2016
प्रसंज्ञान की दिनांक	20.04.2016
आरोप सुनाने की दिनांक	12.03.2026
साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक	24.03.2026
निर्णय सुनाने की दिनांक	30.06.2026
दण्डादे ा (यदि हो तो)	लागू नहीं।

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की संख्या	1
अभियुक्त का नाम	पिंकी

आरोपित अपराध	457 भारतीय दण्ड संहिता
दोशसिद्ध या दोशमुक्त	दोषमुक्त

अभियोजन साक्षियों की सूची

क्र. सं.	पी.डब्ल्यू	गवाह का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
01	01	सीमा	परिवादिया
02	02	धापा	पुलिस बयान धारा 161 सीआरपीसी
03	03	गंभीर	नक्शा मौका
04	04	महाराज सिंह	फर्द गिरफ्तारी
05	05	दीपेन्द्र सिंह	फर्द गिरफ्तारी
06	06	गुलाबसिंह	चार्जशीट का गवाह
07	07	रमेशचंद	अनुसंधान अधिकारी

अभियोजन प्रदर्शों की सूची

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
1	प्रदर्श पी 1	तहरीरी रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी 2	चाक एफआईआर
3	प्रदर्श पी 3	नक्शा मौका
4	प्रदर्श पी 4	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम पिंकी गौड
5	प्रदर्श पी 5	नोटिस धारा 41 सीआरपीसी
6	प्रदर्श पी 6	चैकलिस्ट

:: निर्णय ::

दिनांक : 30.06.2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 06.04.2016 को एक तहरीरी रिपोर्ट परिवादिया श्रीमती सीमा पत्नी रामनिवास ने अपने देवर गंभीर के साथ उपस्थित थाना होकर इस आशय की पेश की कि दिनांक 05.04.2016 को रात्रि के 11 बजे वह अपने बच्चों के साथ घर में सो रही थी तो मुलजिम पिंकी पुत्र राजाराम आया और उसके घर का ताला लगा हुआ था जिसको चोरी की नीयत से तोडने लगा तो वह जाग गई और उसने हल्ला किया तो वह भाग गया। उसके हल्ला करने के बाद उसकी चाची धापा वहां आ गई फिर उसने सारी बात अपनी चाची धापा को बताई इत्यादि.....। उक्त रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा कायम कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त पिंकी के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 457 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। जिस पर न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त के

विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. बहस आरोप सुनने के पश्चात् अभियुक्त के खिलाफ धारा 457 भारतीय दंड संहिता के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाहने पर विधिसम्मत् अन्वीक्षा की गई।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से उपर्युक्त वर्णित सारणी अनुसार साक्ष्य पेश की गई। अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के पश्चात् अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने गवाहों के बयानों को गलत बताते हुए स्वयं को निर्दोष होने का कथन किया है। अभियुक्त की ओर से साक्ष्य सफाई पेश करने हेतु अवसर नहीं चाहा गया जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त की साक्ष्य सफाई का अवसर समाप्त किया गया।

4. बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित समस्त गवाहान द्वारा दी गई साक्ष्यों के अवलोकन से अभियुक्त पर आरोपित अपराध संदेह से परे साबित होता है। उपरोक्त आधारों पर सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर सजा के दण्ड से दण्डित किया जाने का निवेदन किया।

5. वहीं दूसरी ओर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने उक्त कथनों का विरोध करते हुए मुख्यतः यह तर्क दिए हैं कि अभियुक्त की पहचान किसी भी गवाहान द्वारा नहीं की गई है। प्रकरण में कोई स्वतंत्र गवाह भी अनुसंधान अधिकारी द्वारा भी नहीं बनाया गया है। प्रकरण में ताले की बरामदगी भी अनुसंधान अधिकारी द्वारा नहीं की गई है। अभियोजन पक्ष अपने मामले को पूर्णतः स्थापित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया।

6. उभय पक्ष द्वारा बहस में प्रस्तुत किए गए तर्कों एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के अवलोकन को दृष्टिगत रखते हुए हस्तगत प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न हैः–

i. **क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 05.04.2016 को समय रात्रि 11 बजे स्थान पुलिस थाना मंडरायल के क्षेत्राधिकार में स्थित गांव दरगमा में परिवादिया सीमा के घर में चोरी की नियत से बिना किसी अनुमति या सहमति के अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर रात्रि गृह भेदन कारित किया ?**

ii. यदि हां, तो अभियुक्त को किस दण्ड से दण्डित किया जावे ?

7. उक्त विचारणीय बिन्दु संख्या 1 के संबंध में सर्वप्रथम यह देखना है कि क्या अभियुक्त पिंकी द्वारा दिनांक 05.04.2016 को रात्रि 11 बजे परिवादिया सीमा के घर में चोरी की नियत से रात्रि गृहभेदन कारित किया। इस संबंध में हस्तगत प्रकरण की परिवादिया सीमा जिसकी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 के आधार पर उक्त प्रकरण दर्ज हुआ है। परिवादिया द्वारा अपनी तहरीरी रिपोर्ट में यह तथ्य उल्लेखित किया है कि दिनांक 05.04.2016 को रात्रि 11 बजे की बात है। परिवादिया अपने बच्चों के साथ घर में सो रही थी। तब पिंकी खाती आया और उसके घर का ताला लगा हुआ था। जिसको चोरी की नियत से तोडने लगा परिवादिया जग गई और उसने हल्ला किया तो अभियुक्त भाग गया था। परिवादिया के हल्ला करने के बाद उसकी चाची धापा वहां आ गई। फिर परिवादिया ने सारी बात धापा को बताई। इस प्रकार अभियुक्त पिंकी रात्रि को परिवादिया के घर में ताला तोडकर चोरी करने की नियत से आया। उसके बाद आसपास के लोग भी आ गए थे। परिवादिया को प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा बतौर पी.ड 1 के रूप में परीक्षित करवाया गया। उक्त गवाह ने अपनं मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि करीब 9–10 साल पहले रात के करीब 10–11 बजे की बात है। रात को उसका पडौसी पिंकी उसके घर में अंदर घुस आया था और कमरे में रखे रुपये पैसे ले जाने के लिए ताला तोड रहा था। आवाज से वह जाग गई और हल्ला किया तो पिंकी वहां से भाग गया। घटना की उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जो प्रदर्श पी 1 है, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2 है, घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 है सभी पर ए से बी गवाह के हस्ताक्षर हैं। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने यह कथन किया कि उसने अभियुक्त को 10 फुट दूरी से भागते हुए देखा। **गवाह को पीठ दिखाई दी**। पास वालों के इन्वेटर की लाईट जल रही थी। गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि उसने पुलिस को नाम बताया था हुलिया नहीं बताया था।

8. प्रकरण में अन्य गवाह पी.ड 2 धापा ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि करीब 9–10 साल पहले रात के करीब 10–11 बजे की बात है। वह अपने बच्चों के साथ अपने घर पर सो रही थी। रात को सीमा के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वह जाग गई और बल्ब के उजाले में देखा कि पिंकी सीमा के घर से निकलकर जा रहा था। गवाह ने सीमा से पूछा तो उसने बताया कि पिंकी रात में सीमा के घर में चोरी की नियत से घुस गया था और ताला तोड रहा था, सीमा के हल्ला मचाने से भाग गया था। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 1, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2, नक्शा मौका

प्रदर्श पी 3, तीनों पर सी से डी गवाह के हस्ताक्षर हैं। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि उसने लडके को भागते हुए देखा 30–40 फुट की तरफ एक व्यक्ति भागता हुआ देखा। गवाह ने इस सुझाव को भी सही बताया कि उस समय लाईट नहीं थी, अंधेरा था। गवाह ने यह तथ्य भी स्वीकार किया कि **उसने पीठ देखी थी, उसे पहचान में नहीं आया था।** गवाह ने इस सुझाव को भी सही बताया कि चोर का नाम गवाह को परिवादिया सीमा ने बताया था।

9. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अन्य गवाह पी.ड 3 गंभीर ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि करीब 9–10 साल पहले रात के 10–11 बजे की बात है। उसका पडौसी पिंकी सीमा के मकान में चोरी की नियत से घुस गया था। सीमा के जाग जाने और हल्ला करने से अभियुक्त भाग गया था। सुबह सीमा ने उसके घर आकर इस पूरी घटना को उसे बताया और थाने चलकर रिपोर्ट दर्ज कराने की कहा तो वह उसके साथ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने गया था। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 1, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2, नक्शा मौका प्रदर्श पी 3, तीनों पर सी से डी गवाह के हस्ताक्षर हैं। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने कथन किया कि उसे घटना के बारे में अगले दिन सुबह पता चला। गवाह ने यह तथ्य स्वीकार किया कि **उसने किसी को आते जाते नहीं देखा। उसे तो परिवादिया सीमा ने घटना की जानकारी दी।** गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि घटना के समय मौहल्ले में लाईट नहीं आ रही थी।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह पी.ड. 4 महाराज सिंह द्वारा अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 06.04.2016 को थाना मंडरायल पर कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन एएसआई रमेशचंद ने मुकदमा नंबर 28/16 धारा 456 भारतीय दंड संहिता में मुलजिम पिंकी को उसके सामने जरिए फर्द प्रदर्श पी 4 के गिरफ्तार किया था। जिस पर ए से बी गवाह के हस्ताक्षर हैं। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने कथन किया कि अभियुक्त पिंकी को मंडरायल में बाजार से गिरफ्तार किया था। अभियुक्त ने भागने का प्रयास नहीं किया। गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि एएसआई साहब को हुलिया बताया था मुलजिम का। पकडने के बाद नाम पता बताने पर उसे मुलजिम बनाया। गवाह ने यह भी कथन किया कि मुलजिम की गिरफ्तारी 456 भारतीय दंड संहिता में की थी।

11. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अन्य गवाह पी.ड 5 दीपेन्द्र सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 06.04.2016 को थाना मंडरायल पर

कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन एएसआई रमेशचंद ने मुकदमा नंबर 28/16 धारा 456 भारतीय दंड संहिता में मुलजिम पिंकी को उसके व महाराजसिंह के सामने जरिए फर्द प्रदर्श पी 4 गिरफ्तार किया था जिस पर सी से डी गवाह के हस्ताक्षर हैं। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने कथन किया कि गिरफ्तारी थाने पर ही की थी। रमेशचंद एएसआई मुलजिम को पकडकर थाने पर लाए थे दरगमा से लेकर आए थे। गवाह ने कथन किया कि वह उनके साथ में दरगमा में नहीं था। गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि किसी भी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर प्रदर्श पी 4 पर नहीं थे।

12. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अन्य गवाह पी.ड 6 गुलाबसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 06.04.2016 को वह थाना मंडरायल पर एसएचओ के पद पर तैनात था। उस दिन परिवादिया सीमा ने मय अपने देवर गंभीर के उपस्थित थाना होकर एक तहरीरी रिपोर्ट पेश की जिस पर उसके द्वारा मुकदमा नंबर 28/16 धारा 456 भारतीय दंड संहिता में पंजीबद्ध किया और वास्ते तफ्तीश एएसआई रमेशचंद के सुपुर्द की। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है जिस पर ई से एफ गवाह के हस्ताक्षर हैं, जी से एच कार्यवाही पुलिस अंकित है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2 है जिस पर ई से एफ गवाह के हस्ताक्षर हैं। बाद अनुसंधान आईओ ने मुलजिम पिंकी के विरुद्ध धारा 457 भा.द.स. में अपराध प्रमाणित मानकर पत्रावली वास्ते चालान गवाह को सुपुर्द किया जिसमें बाद अवलोकन गवाह के द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया जिस पर ए से बी गवाह के हस्ताक्षर हैं। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने जाहिर किया कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 कहां लिखी गई थी व किसने लिखी यह उसकी जानकारी में नहीं है। गवाह ने इस तथ्य को सही बताया कि प्रदर्श पी 1 में आई से जे भाग में 5 को काटकर 4 किया है। गवाह द्वारा यह तथ्य भी स्वीकार किया गया है कि उसने पत्रावली में कोई जांच नहीं की है।

13. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अन्य गवाह पी.ड 7 रमेशचंद ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 06.04.2016 को वह थाना मंडरायल पर एएसआई के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा नंबर 28/16 धारा 456 भा.द. स. की पत्रावली वास्ते अनुसंधान उसको सुपुर्द की गई थी। दौराने अनुसंधान गवाह द्वारा घटनास्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 बनाया गया जिस पर ई से एफ गवाह के हस्ताक्षर हैं। मुलजिम पिंकी को जरिए फर्द प्रदर्श पी 4 के गिरफ्तार किया जिस पर ई से एफ गवाह के व जी से एच मुलजिम के हस्ताक्षर हैं। बाद अनुसंधान गवाह द्वारा मुलजिम पिंकी के विरुद्ध धारा 457 भा.द.स. में अपराध प्रमाणित मानकर

पत्रवाली एसएचओ साहब को सुपुर्द की जिन्होंने न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। **दौराने प्रतिपरीक्षण** गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने दिनांक 06.04.2016 को नक्शा मौका बनाया था जो कि परिवादी के बताये अनुसार बनाया था। गवाह ने यह भी कथन किया कि घटनास्थल पर एक ही दरवाजा था। गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि घटनास्थल पर एक दरवाजा था और उसका ताला लगा हुआ था। गवाह ने इस सुझाव को भी सही बताया कि घटनास्थल से ताले की बरामदगी नहीं हुई। गवाह द्वारा यह सुझाव भी सही बताया कि **उसकी पूरी जांच में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं आया जिसने गवाह को उक्त घटना व मुलजिम को देखा जाना बताया।** गवाह द्वारा अपनी जिरह में यह कथन किया गया कि मुलजिम को उसके घर से लेकर आये और थाने पर गिरफ्तार किया था। गवाह द्वारा यह भी कथन किया गया था कि परिवादिया ने आरोपी को पहचानना बताया था। इसलिए उसने आरोपी की शिनाख्ती परेड कराना आवश्यक नहीं समझा। गवाह द्वारा अपनी जिरह में यह भी कथन किया गया कि उसने गवाहों के बयान व तफ्तीश के आधार पर 457 भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रमाणित माना

14. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित समस्त गवाहान द्वारा किये गये कथनों का समग्र रूप से अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण परिवादी सीमा पत्नी रामनिवास द्वारा पुलिस थाना मण्डरायल में दिनांक 06.04.2016 को प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश होने पर दर्ज किया गया। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में परिवादिया द्वारा यह तथ्य उल्लेखित है कि अभियुक्त पिंकी दिनांक 05.04.2016 को रात्रि करीब 11 बजे परिवादिया के घर में आया और उसके घर का ताला लगा हुआ था जिसको अभियुक्त चोरी की नियत से तोडने लगा। परिवादिया जागी और उसने हल्ला किया तो अभियुक्त भाग गया था। हल्ला करने के बाद धापा वहां आ गई फिर परिवादिया ने सारी बात चाची को बताई। परिवादिया न्यायालय के समक्ष बतौर गवाह पी.ड 1 परीक्षित हुई जिसने सशपथ अपने बयानों में कथन किया कि वक्त घटना की दिनांक को रात को उसका पडौसी पिंकी परिवादिया के घर में अंदर घुस आया था और उसके कमरे में रखे रुपये पैसे ले जाने के लिए ताला तोड रहा था। उक्त गवाह द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध नामजद एफआईआर थाने पर पेश की गई परंतु, गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया कि उसने अभियुक्त को 10 फुट दूरी से भागते हुए देखा उसे पीठ दिखाई दी। परिवादिया ने स्वयं यह तथ्य स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त को पीठ से देखा था। इसी क्रम में परिवादिया की चाची धापा

(पी.ड 2) ने भी अपनी जिरह में अभियुक्त को भागते हुए देखना व 30–40 फुट की तरफ एक व्यक्ति को भागते हुए देखने तथा वक्त घटना लाईट नहीं होने व अंधेरा होने का कथन किया है। उक्त गवाह ने अपनी जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त की पीठ देखी थी उसे पहचान में नहीं आया था। गवाह पी.ड 2 को अभियुक्त का नाम परिवादिया सीमा द्वारा बताये जाने के कथन किए हैं। उक्त दोनों गवाह जो कि प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाह हैं उनकी साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उन्होंने जिस व्यक्ति को परिवादिया सीमा के घर का ताला तोडकर चोरी की नियत से घुसते हुए देखा वह अभियुक्त पिंकी ही था। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अन्य गवाह पी.ड 3 गंभीर ने अपनी जिरह मे यह स्वीकार किया कि उसने किसी को आते जाते नहीं देखा गवाह को घटना की जानकारी परिवादिया सीमा ने दी थी। उक्त गवाह द्वारा वक्त घटना मौहल्ले में लाईट नहीं आना भी स्वीकार किया है। उक्त गवाह के बयानों से भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्त पिंकी द्वारा परिवादिया सीमा के घर में चोरी की नियत से ताला तोडा गया है। उपरोक्त समस्त गवाह प्रकरण में अहम गवाह थे। उक्त तीनों गवाहों ने अपने बयानों में अभियुक्त की पहचान नहीं किए जाने के संबंध में कथन किए हैं। प्रकरण का अन्य महत्वपूर्ण गवाह पी.ड 7 जो कि हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी था। उक्त गवाह द्वारा अपनी जिरह में कथन किया गया कि घटनास्थल पर एक दरवाजा था। उक्त गवाह द्वारा बनाया गया घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 बनाया गया। उक्त नक्शा मौका में परिवादिया के घर में दो दरवाजे दर्शित किए गए हैं, परंतु गवाह अपनी जिरह में कथन करता है कि घटनास्थल पर एक दरवाजा था जिसका ताला लगा हुआ था। उक्त गवाह द्वारा बनाए गए नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 व गवाह के बयानों में विरोधाभास प्रकट होता है। गवाह ने अपनी जिरह में यह भी स्वीकार किया कि घटनास्थल से ताले की बरामदगी नहीं हुई। गवाह स्वयं यह स्वीकार करता है कि उसकी पूरी जांच में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं आया जिसमें उसे उक्त घटना व मुलजिम को देखा जाना बताया हो। इस प्रकार अभियोजन पक्ष को अभियुक्त पिंकी के विरुद्ध धारा 457 आईपीसी का अपराध संदेह से परे साबित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह साबित करना था कि जो व्यक्ति परिवादिया के घर में ताला तोडकर चोरी करने की नियत से आया था वह अभियुक्त पिंकी ही था। लिहाजा प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण साक्षियों स्वयं परिवादिया व अन्य चश्मदीद साक्षियों द्वारा भी वक्त घटना अभियुक्त घटनास्थल पर परिवादिया के घर का ताला चोरी करने की नियत से तोड रहा हो, ऐसी साक्ष्य नहीं दी गई है जिससे उक्त विचारणीय बिंदु संदेह के घेरे में आता

है।

15. ऐसे में न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित मत्वपूर्ण गवाहों के बयानों में विभिन्न स्तरों पर आए गंभीर विरोधाभास तथा अभियुक्त पिंकी की पहचान किसी भी गवाहान द्वारा नहीं किया जाना व अन्य गवाहान द्वारा अभियोजन पक्ष की कहानी का अपने बयानों में समर्थन नहीं किए जाने के कारण अभियोजन पक्ष यह संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 05.04.2016 को रात्रि लगभग 11 बजे परिवादिया सीमा के घर में चोरी करने की नियत से बिना किसी की अनुमति या सहमति के अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर रात्रि गृहभेदन कारित किया। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 457 भारतीय दंड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

16. परिणामस्वरूप अभियुक्त पिंकी खाती पुत्र राजाराम, उम्र 30 साल, निवासी दरगंमा थाना मंडरायल, जिला करौली, (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 457 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

17. अभियुक्त अपीलीय न्यायालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने हेतु धारा 437ए दण्ड प्रकिया संहिता के तहत रूपए 10,000/– के स्वयं के मुचलके पेश करे जो कि निर्णय की दिनांक से छः माह तक प्रभावी रहेगें।

(गुंजन फौजदार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली

18. निर्णय आज दिनांक 30..06.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गुंजन फौजदार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली